UPSI050007112022

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-450/2022

C.I.S No-460/2022

रमाशंकर आदि **बनाम** उ.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर आदि।

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना-पत्र 64 क 1 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना-पत्र 64 क 1 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. व क़ायम मुक़ामी अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. प्रार्थी उमाशंकर द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त वाद की वादिनी सं० -1/1 श्रीमती लाल मुन्नी की मृत्यु दिनांक 05.12.-2023 को हो गयी है, के स्थान पर उसके वारिस पुत्र व पुत्रियाँ है जो पूर्व से पक्ष हैं, इसलिए कोई नवीन पक्षकार नहीं बनना है। अतः वादिनी सं० -1 श्रीमती लाल मुन्नी की मृत्यु हो जाने की दशा में वाद-पत्र के उनवान में मृतका लिखे जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि वादिनी सं०-1 श्रीमती लाल मुन्नी की मृत्यु दिनांक 05.12.2023 को हो चुकी है। वाद-पत्र के उनवान में उपर्युक्त वादिनी के नाम के आगे मृतका लिखे जाने का कथन किया गया है जो उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रार्थना- पत्र मियाद अवधि के अन्दर प्रस्तुत है एवं शपथ-पत्र से समर्थित है। प्रस्तुत संशोधन से उपरोक्त वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन में सुगमता होगी। न्यायहित में प्रार्थना-पत्र 64 क 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र 64 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादी वाद -पत्र में आवश्यक संशोधन अविलम्ब करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० -3 व 4 दिनांक 18.04.2024 को पेश हो।

दिनांकः-18.03.2024

(श्रीमती अंशु शुक्ला)
सिविल जज (सी०डि०),
सीतापुर।
J.O.Code-UP2191

विजय मौर्या/-

Digitally signed by Anshu Shukla
Date: 2024.03.18 17:25:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur